न्यायालय उपखण्ड अधिकारी(एस.डी.ओ.)सिणधरी

पीठासीन अधिकारी :श्री प्रमोद कुमार ,आर.ए.एस.

राजस्व आवेदन संख्या 176 / 2023

प्रार्थी

अनाराम पुत्र छोलाराम जाति जाट निवासी लूणाकला तहसील सिणधरी

बनाम

विप्रार्थीगण

1. अचलाराम पुत्र मंगनाराम
2. देवाराम पुत्र छोलाराम जाति जाट निवासी लूणाकला तहसील सिणधरी
3. शाखा प्रबन्धक, स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एण्ड जयपुर हाल स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया सिणधरी
4. तहसीलदार सिणधरी

राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 251 क, आर.टी एक्ट 1955

उपस्थिति–

1.श्री पाबूराम बेनीवाल, वकील प्रार्थी की ओर से उपस्थित।

2.राज.पैरोकार नायब तहसीलदार विप्रार्थी संख्या 4 की ओर से उपस्थित।

3.विप्रार्थी संख्या 01 से 3 एकतरफा।

आदेश

दिनांक– 28.12.2023

1.संक्षेप में आवेदन के सुसंगत तथ्य इस प्रकार है, कि प्रार्थी की खातेदारी भूमि खसरा संख्या 205 / 4 ग्राम लूणांकला तहसील सिणधरी में अवस्थित है। उक्त खेत एवं सड़क के मध्य विप्रार्थी संख्या 1 के खेत खसरा संख्या 79 व विप्रार्थी सं. 2 के खसरा नम्बर 353 / 205 भूमि आये हुए है। प्रार्थीगण अपनी खातेदारी भूमि से होकर मुख्य सड़क तक पहुंचने के लिए विप्रार्थी स.1 से 2 की उक्त खसरे में से चले आ रहे प्रचलित रास्ते से होकर गुजरना पड़ता है। विप्रार्थी संख्या 01 से 02 बरसात के मौसम में उक्त रास्ते की भूमि पर काश्त कर इसे अवरूद्व कर देते है। जिससे प्रार्थीगण को सड़क तक आने जाने में समस्या आती है और काश्त के समय खेत जोत होने के कारण विप्रार्थी संख्या 01 से 34 कदीमी रास्ते से चलनें से रोक टोक भी की जाती रहती है। इस कारण प्रार्थीगण को भारी असुविधा का सामना

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2024.02.14 11:09:00 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
सिणधरी

करना पडता है,और उक्त प्रस्तावित रास्ता ही प्रार्थीगण के लिए सुविधा जनक है,क्योंकि **उक्त** अनकटा रास्ता इस हेतु इकलौता विकल्प है तथा रास्ते की प्रार्थीगण को आत्यन्तिक आवश्यकता है। अतः प्रार्थीगण ने ग्राम लूणाकला तहसील सिणधरी की खसरा संख्या 79 व 353/205 भूमि में होकर गुजरते हुए रास्ते के रूप में प्रयुक्त हो रही भूमि का राजस्व रिकॉर्ड में सरकारी खाते में गैर मुमकिन रास्ता दर्ज करवाने हेतु यह आवेदन प्रस्तुत किया है।

2.प्रार्थीगण का आवेदन दर्ज रजिस्टर कर विप्रार्थीगण को जरिये रजिस्ट्रर्ड नोटिस तलब किया गया। विप्रार्थीगण के नोटिस तामील शुदा प्राप्त हुई। विप्रार्थी संख्या 1 से 3 बावजूद नोटिस तामील के हाजिर नहीं होने पर एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। विवादित भूमि की मौका रिर्पोर्ट तहसीलदार सिणधरी से तलब की गई।

3.उमयपक्ष की अंतिम बहस सुनी गई। वकील प्रार्थी ने आवेदन के तथ्यों को दोहरातें हुए बहस कि प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि खसरा संख्या 205/4 रकबा 2.3057 हैक्टयर ग्राम लूणाकला तहसील सिणधरी में अवस्थित है। उक्त खेत एवं सड़क के मध्य विप्रार्थी संख्या 1 के खेत खसरा संख्या 79 व विप्रार्थी सं. 2 के खसरा नम्बर 353/205 भूमि आये हुए है। प्रार्थीगण अपनी खातेदारी भूमि से होकर मुख्य सड़क तक पहुचनें के लिए विप्रार्थी स. 1 से 2 की उक्त खसरों में से चल रहे कदीमी प्रचलित रास्ते से होकर गुजरना पड़ता है। विप्रार्थी संख्या 01 से 02 बरसात के मौसम में उक्त रास्ते की भूमि पर काश्त कर इसे अवरूद्व कर देता है। जिससे प्रार्थीगण को सड़क तक आने जाने में समस्या हो जाती है इस कारण प्रार्थीगण को भारी असुविधा का सामना करना पड़ता है और उक्त प्रस्तावित रास्ता ही प्रार्थीगण के लिए सुविधा जनक है,क्योकि उक्त प्रस्तावित रास्ता ही इकलौता विकल्प है,तथा रास्ते की प्रार्थीगण को आत्यन्तिक आवश्यकता है। आगे ओर कथन किया कि प्रस्तावित रास्ते की तहसीलदार सिणधरी द्वारा मौका जांच की गई और म[illegible] प्रार्थी को रास्ता दिए जाने की अनुशंषा की गई है। अतः [illegible] अनुसार प्रार्थीगण के पक्ष में रास्ता निकालने की स्वीकृति प्रदान करते हुए उक्त [illegible] राजकीय खाते मे गैर मुमकिन रास्ते के रूप में दर्ज किया जावे। प्रार्थी रास्ते में जाने वाली भूमि के बदले विप्रार्थी स.1 से 2 को न्यायालय द्वारा निर्धारित क्षतिपूर्ति राशि अदा किये जाने से भी सहमत है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2024.02.14 11:09:00 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
सिणधरी

4.विप्रार्थी संख्या 4 की ओर से राज.पैरोकार नायब तहसीलदार ने बहस में निवेदन किया कि तहसीलदार सिणधरी की रिपोर्ट के अनुसार आवेदन पत्र का निस्तारण किया जावें।

6.**हमनें** उभयपक्ष की बहस पर मनन किया और पत्रावली के संलग्न राजस्व रिकॉर्ड एवं मौका रिपोर्ट का अवलोकन किया तथा विधि के परिप्रेक्ष्य में तथ्यो पर विवेचन किया। जिसमें पाया कि प्रार्थी की ओर से अपनी खातेदारी खेत मौजा लूणाकला तहसील सिणधरी की खसरा संख्या 205/4 से होकर मुख्य सड़क तक पंहुचने के लिए बीच विप्रार्थी संख्या 1 के खेत खसरा संख्या 79 व विप्रार्थी सं. 2 के खसरा नम्बर 353/205 भूमि से होकर चल रहे रास्ता को स्वीकृत करनें हेतु आवेदन पेश किया गया। जिसमें तहसीलदार सिणधरी से मौका स्थिति की रिपोर्ट न्यायालय के आदेश दिनांक 01.09.2023 के द्वारा तलब की गई। तहसीलदार सिणधरी द्वारा न्यायालय के आदेश की पालना में मौका जांच कर रिर्पोर्ट पत्र कमांक 1625/27.10.2023 के द्वारा पेश की गई। जिसमें स्पष्ट अंकन किया कि मौजा लूणाकला की खसरा संख्या 205/4 में पहुचनें के लिए खसरा संख्या 79 व 353/205 में से होकर गुजरना पड़ता है,और इसके अलावा अन्य कोई विकल्प रास्ता नहीं है। इससे स्पष्ट है,कि प्रार्थी को अपने खेत से होकर मुख्य सड़क तक पहुचनें के लिए उक्त खेत में से होकर गुजरना पड़ता है और अन्य विकल्प रास्ता नहीं है,इससे स्पष्ट साबित होता है,कि प्रार्थी को अपने खेत से होकर मुख्य सड़क मार्ग तक पहुचनें के लिए प्रस्तावित रास्ता ही एकमात्र वैकल्पिक है। ऐसी सूरत में तहसीलदार की रिपोर्ट से प्रमाणित है कि प्रस्तावित रास्तें के अलावा अन्य कोई विकल्प रास्ता भी नहीं है। इस प्रकार रास्ते हेतु खसरा संख्या 79 में लम्बाई 35 गढा व चौड़ाई 02.5 गढा क्षेत्रफल 0.0324 हैक्टयर ,खसरा संख्या 353/205 में लम्बाई 04 गढा व चौड़ाई 02.5 गढा क्षेत्रफल 0.0040 हैक्टयर का रास्ता प्रस्तावित किया गया। उक्त प्रस्तावित भूमि की डी.एल.सी. दर अंसिचित सड़क से दूर राशि–198477/–रूपयें प्रति हैक्टयर है। **नियमानुसार** रास्ते में प्रभावित भूमि खातेदारान को उक्त भूमि की डी.एल.सी दर से दुगुनी राशि प्रार्थीगण से दिलवाने का प्रावधान है। इस प्रकार कुल क्षेत्रफल 0.0324 हैक्टयर की कुल राशि–14450/–अक्षरे चौदह हजार चार सौ पचास रूपयें मात्र विप्रार्थी संख्या 01 से 02 को राशि दी जानी प्रस्तावित है। उपर्युक्त विवेचन से स्पष्ट है,कि प्रार्थी को रास्ते की आत्यन्तिक आवश्यकता है और उक्त रास्ते के

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2024.02.14 11:09:00 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
सिणधरी

अलावा अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता भी उपलब्ध नहीं है। इस प्रकार प्रार्थी रास्ता पाने के हकदार है। प्रार्थीगण रास्ते की भूमि के बदले क्षतिपूर्ति राशि अदा किये जाने हेतु सहमत है।

6.लिहाजा प्रार्थी का आवेदन स्वीकार किया जाकर ग्राम लूणाकला तहसील सिणधरी की विप्रार्थी की खातेदारी खसरा संख्या 79 में लम्बाई 35 गढा व चौड़ाई 02.5 गढा क्षेत्रफल 0.0324 हैक्टयर ,खसरा संख्या 353/205 में लम्बाई 04 गढा व चौड़ाई 02.5 गढा क्षेत्रफल 0.0040 हैक्टयर भूमि की कुल राशि–14450/–अक्षरे चौदह हजार चार सौ पचास रूपयें मात्र भुगतान करतें हुए मौका रिपोर्ट के संलग्न दर्शित नक्शे में बरंग लाल कलर ———दर्शाये अनुसार चौड़ा रास्ता निकालने की स्वीकृति प्रदान की जाती है। प्रार्थी द्वारा विप्रार्थी संख्या 01 से 02 को क्षतिपूर्ति कुल राशि–14450/–अक्षरे चौदह हजार चार सौ पचास रूपयें मात्र तहसील कार्यालय सिणधरी में संधारित जी.ए.55 रसीद के जरिये राजकोष में जमा करवाये जाने पर तहसीलदार सिणधरी को उपरोक्तानुसार में प्रस्तावित रकबानुसार रास्ते में जाने वाली भूमि का राजकीय खाते में गैर मुमकिन रास्ते के रूप में राजस्व रिकार्ड में अमलदरामद एवं नक्शा ट्रेस में दुरूस्ती सुनिश्चित करने के आदेश दिये जाते है। तहसीलदार सिणधरी क्षतिपूर्ति राशि का भुगतान विप्रार्थी पक्ष को खसरान वाईज उनके हिस्सेनुसार किया जाना सुनिश्चित करावें। तहसीलदार सिणधरी के पत्र कमांकःभू.अ./वाद /2023/51 दिनांक 27.10.2023 के द्वारा प्रेषित मौका रिपोर्ट के संलग्न नक्शा उक्त आदेश का अभिन्न अंग रहेगा।

(प्रमोद कुमार)
उपखण्ड अधिकारी सिणधरी

आदेश आज दिनांक 28.12.2023 को लिखा जाकर मजमें आम में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी सिणधरी

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2024.02.14 11:09:00 IST
Reason: SelfAttested